विद्युत सुधार

कट्स CUTS | राजस्थान में विद्युत सुधार कार्यक्रम की एक झलक | अंक 4, अक्टूबर-दिसम्बर 2001

“बिजली एक राष्ट्रीय धरोहर है, और इससे सम्बन्धित समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक तरीकों से निकाला जा सकता है।”

उपरोक्त विचार जोधपुर संभागीय आयुक्त श्री मनोहर कान्त ने 'कट्स' एवं 'जर्मन विकास संस्था' (एफ.ई.एस.) के संयुक्त सौजन्य से आयोजित 'विद्युत सुधार कार्यक्रमों में जनसहभागिता' विषयक कार्यशाला के अवसर पर बोलते हुए व्यक्त किए। उक्त कार्यशाला आबू रोड़, जिला सिरोही में 20 नवम्बर, 2001 को आयोजित की गई थी। कार्यशाला में अपने उद्‌बोधन में श्री मनोहरकान्त ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी भी विषय पर बातचीत तभी सार्थक होती है जब हम उस बातचीत पर आधारित मुद्दों का आदान-प्रदान करें।

कार्यशाला में सिरोही जिला कलेक्टर श्री गिरिराज सिंह ने अपने उद्‌बोधन में ग्रामीण क्षेत्र स्तर पर बिजली उत्पादन की आवश्यकता पर जोर दिया तथा साथ में विद्युत छीजत को रोकने वाले लोगों के लिए प्रोत्साहन सम्बन्धी कोई योजना बनाने की आवश्यकता भी जताई।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक व अध्यक्ष श्री एच.डी. चारण ने कहा कि यह युग बिजली का युग है तथा रोटी, कपड़ा व मकान के साथ-साथ यदि बिजली को भी जोड़ लिया जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

आबूरोड़ में आयोजित इस कार्यशाला में उद्योगपतियों, जनप्रतिनिधियों शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं ने अपने क्षेत्र की विद्युत संबंधी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उनके शीघ्र निदान का निवेदन किया। करीब 250 सम्भागियों की उपस्थिति में 'कट्स' के सहायक निदेशक श्रीनिवास कृष्णास्वामी तथा कार्यक्रम समन्वयक विनायक पाण्डे ने परियोजना का विवरण प्रस्तुत किया।

खास-खबर

- **कागजों में लगी बिजली।** राज्य के नोहर विधानसभा क्षेत्र के 22 गांवों में घरों पर तो बिजली लगी नहीं, लेकिन कागजों में बिजली जरूर लगा दी गई है। अब सरकार ने फिर भरोसा दिलाया है कि धनराशि उपलब्ध होने पर वहाँ वास्तविक बिजली की लाईन डाल दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री डॉ. चन्द्रभान ने विधायक श्रीमती सुचित्रा आर्य के एक सवाल के लिखित जवाब में स्वीकार किया कि इनमें कई गाँव तो ऐसे हैं, जिनमें 20 वर्ष पहले ही कागजों में बिजली लगा दी गई थी।
- **किसानों को फ्लेट रेट के आधार पर बिजली देने की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बन्द किया जाएगा।** केन्द्र सरकार ने इस व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर बन्द करने को कहा था, लेकिन एकदम से इसे बन्द करना उचित नहीं है। उन्होंने माना कि इस व्यवस्था से राजस्व कम प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि मंदी के कारण औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन घटने से बिजली कम्पनियों का राजस्व घटा है। विद्युत वितरण में होने वाली छीज़त को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, अभी तक इनमें सीमित सफलता ही मिली है। विद्युत चोरी रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में जम्पर डालकर की जाने वाली विद्युत चोरी को रोकने के लिए इंसूलेटेड केबल बिछाएं जाएंगे।

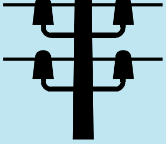

- **किसानों को अस्थाई कनेक्शन देने का प्रावधान नहीं।** राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉ. चन्द्रभान ने कहा कि अस्थाई विद्युत कनेक्शन केवल उन परिस्थितियों में ही दिया जाता है, जहाँ कनेक्शन कुछ समय के लिए या निर्माण कार्य के लिए ही चाहिए और उसके बाद आवश्यकता समाप्त होने पर कनेक्शन खत्म कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि कृषि कनेक्शन में आवश्यकता कुछ समय बाद समाप्त नहीं होती, इसलिए यदि अस्थाई कनेक्शन दिया जाए तो विद्युत तंत्र के लिए वितरण निगम द्वारा निवेश निष्फल हो जाएगा और उससे राजस्व की हानि होगी। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों में भी असंतोष होगा।

विद्युत मीटर और उपभोक्ता

राजस्थान में बिजली का मुद्दा एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इस समस्या से राज्य सरकार एवं विद्युत उपभोक्ता दोनों ही परेशान हैं। इस परेशानी को नए इलेक्ट्रोनिक मीटरों ने ओर अधिक बढ़ा दिया है। विद्युत वितरण निगम ने जब से नए इलेक्ट्रोनिक मीटर उपभोक्ताओं के यहाँ लगाने शुरू किए हैं, तब से उपभोक्ताओं के द्वारा भ्रामक स्थिति के कारण विरोध शुरू हुआ है। क्योंकि अधिकतर उपभोक्ताओं की शिकायत यही है कि नए मीटर बहुत तेज गति से चलते हैं। हालांकि विद्युत वितरण निगम ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मीटर जांच शिविर लगाए तथा उनकी शिकायतों के अन्तर्गत मीटर की जांच की गई तो मीटर सही पाए गए।

सबसे दुःखद पहलू यह है कि विद्युत उपभोक्ता इन जांच शिविरों में अपने मीटरों की जांच करवाने के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह नजर आता है कि नए मीटर लगाने से पूर्व उपभोक्ताओं को ठीक प्रकार से सूचना नहीं पहुँचाई गई तथा उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रोनिक मीटर ईमानदार उपभोक्ताओं के हित में है। इस स्थिति के कारण आम धारणा यह बन गई है कि इलेक्ट्रोनिक मीटर तेज चलते हैं तथा इस कारण से वास्तविक उपभोग से अधिक बिजली का बिल आता है। जब कोई आम धारणा बन जाती है तो उसका निराकरण करना आसान नहीं होता है।

श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सम्पादक...

अन्य खबरें

(इलेक्ट्रोनिक मीटरों से सम्बन्धित)

- **इलेक्ट्रोनिक मीटरों की गुणवत्ता पर फिर सवाल।** आम व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन रहे बिजली के इलेक्ट्रोनिक मीटरों की गुणवत्ता पर भंग हो चुके राज्य बिजली बोर्ड के पूर्व तकनीकी सदस्य तारासिंह बुढ़ानिया ने सवालिया निशान लगा दिया है। बिजली विभाग में 37 वर्षों की नौकरी के बाद 31 मई, 2001 को सेवानिवृत्त हुए बुढ़ानिया का मानना है कि इलेक्ट्रोनिक मीटर तापमान, आर्द्रता और प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। जब अमेरिका जैसे विकसित देश में ही इलेक्ट्रामेगेनेटिक मीटरों का उपयोग हो रहा है तो राजस्थान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यह समझ से बाहर है। सरकार को पहले इसकी परफारमेंस को परखते हुए उपभोक्ताओं के लिए दोनों मीटरों के विकल्प खुले रखने चाहिए थे। विडंम्बना यह है कि इलेक्ट्रोनिक मीटरों में खपत के आधार उसकी सिगनलिंग प्रणाली है, जो अपने आप में दोषपूर्ण है। मीटर रीडिंग पल्स के हिसाब से आती है, जो कि बिना बिजली के उपभोग के बावजूद चालू रह सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत कंपनियाँ इनकी मौके पर जांच कर देने का छलावा कर रही हैं।

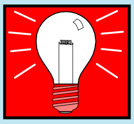

- **रिमोट सिस्टम से बिजली चोरी, नौ मीटर जब्त किए गए।** बिजली चोरी रोकने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम जितनी सख्ती कर रहा है, उतने ही आधुनिक तकनीकी तरीके इसके लिए काम में लिए जाने लगे हैं। रिमोर्ट कंट्रोल जैसी आधुनिक तकनीक भी अब बिजली चोरी के लिए काम में ली जाने लगी है। जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ।

  इस मामले के संबंध में निगम के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष अशोक सिंघवी ने बताया कि जयपुर के पास, सांगानेर के कागज़ी मोहल्ले में जब एक-एक मीटर को जांचना शुरू किया गया तो एक मकान में लगे हुए मीटर पर कुछ संदेह हुआ। गहन जांच की तो पाया कि उपभोक्ता ने बिजली चोरी करने के लिए रिमोट सिस्टम लगा रखा था। इस पर उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान नौ उपभोक्ताओं के मीटर और जब्त किए गए हैं। सतर्कता दल ने इनसे मौके पर ही 4.50 लाख रुपए बतौर जुर्माने के वसूल किए। जब्त किए गए मीटरों की जांच करवाई जा रही है।

- **दो वर्ष में शेष चार लाख मीटर भी बदल जाएंगे।** विद्युत वितरण निगम अगले दो वर्ष में जयपुर शहर के सभी पुराने मीटरों को इलेक्ट्रोनिक मीटरों में बदल डालेगा। इसके लिए निगम शीघ्र ही एक योजनाबद्ध मुहिम शुरू करने जा रहा है। विद्युत वितरण निगम की अधिकारिक जानकारी के मुताबिक शहर में अभी तक लगाए गए एक लाख इलेक्ट्रोनिक मीटरों के उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आए हैं। बिजली चोरी के मामले भी अभी इससे कम हुए हैं। राजस्व में तो अपेक्षा से अधिक वृद्धि हुई है।

  इन तमाम तथ्यों को देखते हुए शहर के शेष बचे 4 लाख पुराने बिजली के मीटरों को बदलने के लिए एक योजनाबद्ध मुहिम शीघ्र ही शुरू की जा रही है। इसके तहत सबसे पहले सरकारी कार्यालयों और आवासों के विद्युत मीटर बदले जाएंगे, जो एयरकंडीशनर का उपयोग करते हैं। तीसरा चरण कम बिल आने वाले विद्युत मीटरों के लिए होगा और अंतिम चरण में एक ही स्थान पर लगे तीन-चार विद्युत मीटरों के स्थान पर एक ही इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाया जाएगा।

- **इलेक्ट्रोनिक मीटरों की जांच नए तरीके से करने की मांग।** जहाँ एक तरफ विद्युत निगम नए इलेक्ट्रोनिक मीटरों की जांच करवा रहा है, वहीं दूसरी ओर मालवीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने इलेक्ट्रोनिक मीटरों की जांच नए तरीके से कराने की मांग की है।

  एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर शहर अधीक्षण अभियंता श्री आर.जी. गुप्ता को इस बारे में एक ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रोनिक मीटर एवं एक इलेक्ट्रो मेकेनिकल मीटर को साथ रखकर परीक्षण किया जाए। यह परीक्षण बिजली की साधारण परिस्थिति एवं विभिन्न तरह के लोड जैसे थाई रिस्टर लोड, जर्क लोड़ पर कम से कम पांच सात दिन तक किया जाए। साथ ही एक इलेक्ट्रोनिक मीटर को यूनिटी पावर फैक्टर पर भी परीक्षण किया जाए। एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि इस तरह की जांच करने से यह पता चलेगा कि समान परिस्थितियों में क्या इलेक्ट्रोनिक मीटर सही रीडिंग देते हैं।

- **अधिकारियों ने माना, कुछ मीटर तेज घूमते हैं।** इलेक्ट्रोनिक मीटर के बिजली बिल देखकर उपभोक्ताओं का सिर तो घूम ही रहा है, लेकिन विद्युत वितरण निगम के अधिकारी भी पुराने और नए मीटरों के बिलों की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट देखकर हैरान हैं।

  विद्युत वितरण निगम ने जयपुर शहर में कई पुराने बिजली के मीटरों के स्थान पर नए इलेक्ट्रोनिक मीटर तो लगा दिए, लेकिन इसके बाद उपभोक्ताओं की शिकायतों से वह परेशान हो गया। अधिकतर उपभोक्ताओं का कहना है कि 'हमारा नया मीटर तेज चल रहा है।' इसकी रीडिंग गलत है। यह खर्च की गई यूनिटों से ज्यादा का बिल दे रहा है। निगम ने इन शिकायतों को लेकर अपने शिविर भी आयोजित किए और लोगों को तकनीकी संबंधी जानकारी भी दी, लेकिन उपभोक्ताओं की शिकायत जब बराबर रही, तो निगम भी सोचने पर मजबूर हो गया। निगम ने लोगों को संतुष्ट करने और अपनी जानकारी के लिए पुराने बिजली के इलेक्ट्रोमेकेनिक मीटर और नए बिजली के इलेक्ट्रानिक मीटर के बिलों का तुलनात्मक सर्वे कर डाला। सर्वे रिपोर्ट में 106 उपभोक्ताओं को शामिल किया गया। बिजली बिलों के पुराने और नए आंकड़ों को रिपोर्ट का रूप दिया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो निगम अधिकारियों का सिर पूरी तरह से घूम गया। एक निगम अधिकारी का कहना था, 'वाकई यह अविश्वसनीय है। इतना ज्यादा अंतर होना बहुत मुश्किल है।' निगम अधिकारियों ने फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए इस अंतर का कारण पुराने खराब मीटरों को मान लिया है।

वैकल्पिक ऊर्जा

बिजली के उपयोग में इन्सान के मल-मूत्र का उपयोग

आज मल-मूत्र से न केवल ट्यूबलाइट व बल्ब जलाए जा रहे हैं, बल्कि खाना भी पकाया जा रहा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के तहत जयपुर जिले में सात बायोगैस संयंत्र बनाकर चालू किए जा चुके हैं।

इन संयंत्रों पर आने वाली लागत में 75 फीसदी केन्द्र सरकार और 25 फीसदी राशि राज्य सरकार अनुदान के रूप में दे रही है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की देखरेख में मान्यता प्राप्त निजी संस्था ये संयंत्र बनाती है और रख-रखाव के लिए संबंधित संस्था को सौंप देती है। नगर निगम की पहल पर जयपुर शहर में हसनपुरा, हटवाड़ा, धौलाई (मानसरोवर), रैगर मोहल्ला सांगानेर और केन्द्रीय कारागार की पहल पर केन्द्रीय कारागार में दो बायोगैस संयंत्र बनाए गए हैं।

नगर निगम के अधीक्षण अभियंता एच.एन. राठी ने बताया कि उन्हें बायोगैस से खाना बनाने के लिए कनेक्शन मांगने का कोई आवेदन अभी नहीं मिला है और न ही लोगों की अभी ऐसी मानसिकता है कि वे इस पर खाना बनाकर खा सकें। इस गैस से निजी खर्च के लिए बत्ती जलाने की योजना है। इसके तहत सुलभ काम्पलेक्स की लाइटें कुछ देर इससे जलाई जा रही है। अगर पर्याप्त मात्रा में गैस मिलती है तो इससे स्ट्रीट लाइट चालू करने का भी विचार है।

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत

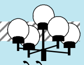

गाँवों में सौर बिजली देगा 'रेडा'। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँचाने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण (रेडा) आने वाले दिनों में करीब 15 हजार सोलर लाइट लगाएगा। यह कार्य प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत होगा। रेडा के चीफ डायरेक्टर श्री सी.पी. व्यास ने कहा कि राज्य में पवन ऊर्जा के संबंध में कई लोगों ने रुचि दिखाई है। इस प्रोजेक्ट को व्यापक बनाने की जरूरत है। रेडा को केन्द्र से करीब 10.8 करोड़ रुपए का बजट ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मिला है। इसके लिए एक योजना बनाकर काम किया जाएगा।

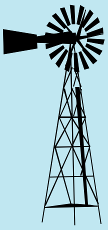

बिना बाहरी स्त्रोत मोटर चलेगी, बिजली भी पैदा होगी।

अलवर के एक किसान ने बिजली बनाने की एक ऐसी मशीन बनाई है, जिसको कि एक बार किसी बाहरी बिजली के स्रोत से चलाने पर वह अपने आप चलती रहती है। एक बार मोटर चलना शुरू होने पर बिजली स्त्रोत से हटा दिए जाने पर भी न सिर्फ मोटर का चलना जारी रहता है, बल्कि उससे निरंतर बिजली उत्पादन होना शुरू हो जाता है। बहुत कम खर्च में छह घंटे में 120 यूनिट बिजली पैदा करने वाली यह मशीन पन्द्रह हॉर्स पावर तक की मोटर चला सकती है।

किसान ने इस मशीन को खेती-बाड़ी में क्रांतिकारी कदम होने का दावा करते हुए बताया कि इस मशीन में सिर्फ एक बैल के इस्तेमाल से इतनी बिजली पैदा की जा सकेगी जो अपने खेत के लिए ही नहीं बल्कि अन्य खेतों में भी फसल लहलहाने के लिए काफी होगी।

अलवर जिले के सोडावास गाँव में खेती बाड़ी करने वाले शिक्षित किसान सूबेसिंह चौधरी ने अपनी खोज को हालांकि अभी प्रारंभिक परीक्षण ही बताया है, लेकिन यदि यह सफल साबित हुआ तो इसे ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ही कहा जाएगा। किसान ने मशीन का पेटेन्ट कराने के लिए आवेदन भी कर दिया है। सूबे सिंह ने बताया कि जब पारे में हल्का सा विद्युत करंट पास कराया जाता है तो वह एक प्रकार का भारी कम्पन करता है। पारे के इस गुण व गुरुत्वाकर्षण के नियमों के सिद्धांत पर यह मशीन काम करती है। उन्होंने अपनी मशीन में ठोस लोहे के बने दो फीट व्यास के एक पहिये का इस्तेमाल किया है। पहिये के चारों ओर बारह लोहे की छड़ें लगाई हैं। प्रत्येक छड़ में चार-चार छोटे-छोटे बियरिंग के जरिए पारे से भरे पिण्ड इस तरह लगाए गए हैं कि ये आसानी से छड़ में ऊपर-नीचे व नीचे-ऊपर आ जा सकते हैं।

उपभोक्ता मंच

- **अनुसूचित जाति के किसानों को तुरन्त बिजली कनेक्शन।** अब अनुसूचित जाति के किसानों को प्रार्थना-पत्र देने के तुरन्त बाद कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में निर्णय ऊर्जा मंत्री डॉ. चन्द्रभान के साथ अखिल भारतीय किसान सभा व मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों की अक्टूबर माह में सचिवालय में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में किसानों को फसल के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि रबी की फसल की बुवाई के लिए यदि आवश्यक हुआ तो शहरों में तीन-चार घण्टे की बिजली कटौती की जाएगी।

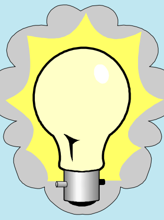

- **न्यूनतम बिल आठ महीने के आधार पर लिए जाएं।** राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने राजस्थान जिनिंग एण्ड प्रेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद कहा कि प्रति सीजन में न्यूनतम बिलिंग आठ महीने के बिल के औसत पर लिया जाए। ऑफ सीजन में स्थाई शुल्क 25 प्रतिशत तथा वास्तविक ऊर्जा शुल्क ही वसूला जाए।

  आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार, सदस्य श्री शांति प्रसाद और श्री प्रभाकर के. दास ने याचिका का निस्तारण करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिका में बताया गया था कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम परिवादी से ऑफ सीजन में भी ज्यादा राशि वसूल कर रहा है, जबकि ऑफ सीजन में कोई काम नहीं होता। इन दरों की वसूली से राज्य में जिनिंग एण्ड प्रेसिंग व्यवसाय खत्म हो जाएगा। उसके बाद आयोग ने विद्युत वितरण निगम को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे और आज सुनवाई के बाद याचिका का निबटारा कर दिया।

- **विवादित बिल गलत पाया गया तो उपभोक्ता को ब्याज मिलेगा।** अब निगम बिजली उपभोक्ताओं को विवादित बिल की जमा रकम पर 18 फीसदी ब्याज देगा। यह ब्याज तभी मिलेगा जब समझौता समितियाँ बिल को गलत पाएंगी। बिजली उपभोक्ताओं के विवादों के निराकरण के संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। उन्होंने इसके लिए निगम के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की खपत के अनुसार उपभोक्ताओं को बिल वितरित करने के मामले में कोई विवाद पैदा होता है, तो निगमों को उपभोक्ता के साथ बैठकर उसे हल करना चाहिए। बैठक में यह निर्णय भी किया गया कि कोई उपभोक्ता यदि समझौता समिति में नहीं जाना चाहता या फिर समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह सीधे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जनाभाव अभियोग समिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर समझौता समितियाँ या जिला जनाभाव अभियोग निराकरण समिति उपभोक्ता के बिल को गलत पाती है, तो ऐसे उपभोक्ता को संबंधित विद्युत वितरण निगम द्वारा बिल की जमा की गई राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। बैठक में ऊर्जा मंत्री डॉ. चन्द्रभान, मुख्यसचिव इंद्रजीत खन्ना व निगमों के अधिकारी मौजूद थे।

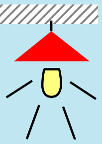

- **मीटर बॉक्स लगाने के नाम पर अवैध वसूली।** मीटर बॉक्स लगाने के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं से धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है। विद्युत वितरण निगम ने पुराने मीटरों पर बॉक्स लगाने का जयपुर शहर में एक अभियान चला रखा है, जो निःशुल्क है। लेकिन जो लोग इन बॉक्सों को लगाने जा रहे हैं वे उपभोक्ताओं से 'लेबर चार्ज' के रूप में 20 रुपए बिना किसी रसीद के ले रहे हैं। उपभोक्ताओं को यह भी कहा जा रहा है कि इस बॉक्स के 600 रुपए बिलों में जुड़कर आएंगे।

  उधर जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता (शहर) का कहना है कि ये मीटर बॉक्स निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों के मीटर पर बॉक्स लगाए जा रहे हैं, उनके बिलों में छह सौ रुपए की राशि भी जुड़कर नहीं आएगी। इसके साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस तरह की कोई राशि बॉक्स लगाने आने वाले को नहीं दें।

नियमन सुधार

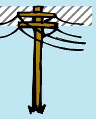

ऊर्जा नियामक आयोग के नए आदेश पर प्रश्नचिन्ह। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख ऊर्जा उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने राष्ट्रीय ऊर्जा नियामक आयोग के नए आदेश पर प्रश्नचिन्ह लगाया है, जिससे उसके राजस्व में प्रतिवर्ष 2300 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा होने का अनुमान है।

एन.टी.पी.सी. सूत्रों के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने आज यहाँ कहा कि सरकार का काम नीति बनाने का है तथा उस पर अमल कराने का काम आयोग का है। पर आयोग ने ऊर्जा उत्पाद उपक्रमों के संदर्भ में एक पक्षपातपूर्ण आदेश जारी किया है, जिससे एन.टी.पी.सी. को वर्ष 2001 से 2012 तक 23066 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। अतः केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह आयोग के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करे और उपक्रमों के साथ किए जा रहे पक्षपात को दूर करे।

विद्युत परिदृश्य

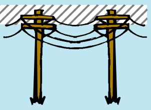

- **बिजली उपलब्धता की समीक्षा।** राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रबी की फसल के दौरान किसानों को अधिकाधिक बिजली देने के हर संभव प्रयास के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने ये निर्देश बिजली उपलब्धता की समीक्षा बैठक में दिए।

गृहमंत्री गुलाब सिंह शक्तावत, ऊर्जा मंत्री चन्द्रभान एवं मुख्य सचिव इंद्रजीत खन्ना सहित ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बिजली कम्पनियों के अध्यक्षों की उपस्थिति में हुई बैठक में विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने एवं उसके समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का भी निर्णय किया गया। इस समिति में पुलिस एवं विद्युत विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ-साथ पंचायत समिति के प्रधान एवं उपभोक्ताओं के कुछ प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

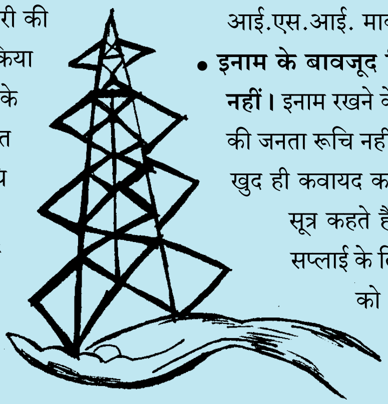

- **किसानों को बिजली देने के लिए शहरों में कटौती।** ऊर्जा मंत्री डॉ. चन्द्रभान ने कहा कि राज्य में उपलब्ध बिजली से किसानों को कृषि कार्यों के लिए अधिक से अधिक बिजली दी जाएगी। इसके लिए जरूरी हुआ तो शहरों में कुछ समय के लिए बिजली कटौती की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कृषि कार्य के लिए आवश्यक बिजली उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने दिल्ली बिजली बोर्ड से एक समझौता किया है, जिससे राज्य में 24 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध होगी। अब राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सभी थर्मल और पन बिजली घरों में पैदा होने वाली बिजली को राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम खरीदेगा।
- **बिजली उपकरणों पर आई.एस.आई. मार्क जरूरी।** उद्योग विभाग ने केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार ऐसे उपकरणों का उत्पादन भण्डारण और विक्रय बिना आई.एस.आई. मार्क के करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसकी जांच के लिए राज्य में उद्योग सचिव को अधिकारी नियुक्त किया है। वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इन आदेशों की अनुपालना के लिए राज्य में किसी दुकान, गोदाम व फैक्ट्री का निरीक्षण करवा सकते हैं और माल को जब्त करवा सकते हैं। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 100 वाट तक के बिजली के बल्ब, पानी गर्म करने की बिजली की इमरसन रॉड़, बिजली की प्रेस, हीटर, बिजली से चलने वाले स्टोव, स्विच, प्लग व सॉकिट का उत्पादन आई.एस.आई. मार्का के साथ हो सकता है।
- **इनाम के बावजूद बिजली चोरी पकड़वाने में लोगों की रूचि नहीं।** इनाम रखने के बावजूद बिजली चोरों को पकड़वाने में जयपुर की जनता रूचि नहीं ले रही है। इस कारण विद्युत वितरण निगम को खुद ही कवायद करनी पड़ रही है।

सूत्र कहते हैं कि गाँवों में सात घंटे के तीन ब्लाक बिजली सप्लाई के लिए बनाए हैं। इन ब्लाकों के अनुसार ही किसानों को खेती के लिए बिजली दी जा रही है। साथ ही शाम 6 से 7 बजे तक लाइटिंग का लोड दिया जा रहा है, इस पर लोड़ का उपयोग भी वे पानी की मशीन चलाने के लिए कर रहे हैं। एक फेज से दूसरे में बिजली ले जाने के लिए कैपीसिटर का उपयोग किया जा रहा है। गाँवों से अधिक चोरी शहर के औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ता कर रहे हैं। चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए कई तरह के पुरस्कार निगम देता है।

ये सभी पुरस्कार उस वसूली के हिस्से में से दिए जाते हैं, जो चोरी पकड़ने पर उपभोक्ता से की जाती है। बिजली चोरी करने वाले का पता ठिकाना बताने वाले को जुर्माना की गई राशि का 10 फीसदी हिस्सा निगम इनाम के रूप में देता है। इस तरह के पुरस्कार के बाद भी जयपुर में कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है।

बिजली बिलों के विवादों का सरल समाधान

जन अभाव अभियोग निराकरण समिति

राज्य के प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जन अभाव अभियोग निराकरण समितियाँ गठित हैं। विद्युत उपभोक्ता इन समितियों में अपने विवादास्पद बिजली बिलों का 30 दिन के अन्दर निराकरण कर सकेंगे। इस समिति में सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान आदि जन प्रतिनिधि सदस्य हैं।

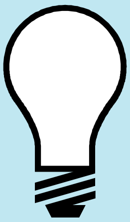

समझौता समितियों का प्रभावीकरण

विद्युत वितरण निगमों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्यरत समझौता समितियों में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से निगम के बाहर के व्यक्ति जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी को शामिल किया गया है। उपभोक्ता अपने विवादस्पद बिलों के निराकरण हेतु इन समितियों में सीधे आवेदन कर लाभ उठा सकता है।

18% ब्याज देय

विद्युत वितरण निगम के दोषपूर्ण बिल की जमा राशि पर विद्युत उपभोक्ताओं को सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों द्वारा 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भुगतान।

प्रेषक:

बुक-पोस्ट

सेवा में,

कट्स CUTS

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी

डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016

फोन: 0141-207482, फेक्स: 0141-207486

ई-मेल: cuts@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts.org